क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक – 17 | सितम्बर 1-15, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-4

बिलकीस बानो मामले के मुजरिमों की रिहाई :

हिन्दोस्तानी राज्य पूरी तरह से सांप्रदायिक है
आइए, मिलकर इंसाफ हासिल करने के अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं!

15 अगस्त को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, 2002 के गुजरात जनसंहार के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्याओं के लिए ज़िम्मेदार अपराधियों में से 11 लोगों को रिहा कर दिया गया। 2008 में उन सभी को एक गर्भवती महिला बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी बलात्कार किया था और उसके तीन साल के बच्चे का सिर पत्थर पर पटककर उसकी हत्या कर दी थी।

फरवरी 2002 में शुरू हुआ गुजरात जनसंहार एक सुनियोजित सामूहिक अपराध था। चश्मदीद गवाहों के बयानों और अनेक नागरिकों द्वारा की गयी जांच से पता चला कि हिंसा की बर्बर वारदातों को ऐसे गिरोहों द्वारा अंजाम दिया गया था जिन्हें प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का समर्थन प्राप्त था। गुजरात में उस समय सरकार की कमान संभालने वाली भाजपा ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए लोगों को उकसाया था। गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में हुई आगजनी के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया गया था, इस आगजनी में अयोध्या से लौट रहे कई कार सेवक मारे गए थे। उस त्रासदी के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा कई हफ्तों तक चली और हजारों लोगों की मौत हो गई। इस दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और बच्चों को अनाथ कर दिया गया।

बिलकीस बानो 20 साल पहले हुए उस सामूहिक अपराध के शिकार लोगों में से एक थी। उन्होंने अपनी जान को ख़तरा होते हुए भी, सभी मुश्किलों का सामना करते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। उन्हें खुद को ज़िन्दा बचाये रखने के लिए बार-बार अपना घर बदलना पड़ा। जिन लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया था और उनके बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को मार डाला था, अंततः 2008 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन सभी को दोषी करार दिया था। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी।

कई पार्टियों और जानी-मानी हस्तियों ने, इन 11 दोषियों को रिहा करने की प्रक्रिया को इंसाफ का खुल्लम-खुल्ला मजाक बनाने जैसी हरक़त बताया है और उसकी सख़्त निंदा की है। सामूहिक बलात्कार और क़त्लेआम जैसे जघन्य अपराध के लिए ज़िम्मेदार मुजरिमों की रिहाई, इंसाफ के सभी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है। यह एक ऐसा क़दम है जो सभी नागरिकों को एक बार फिर इस हक़ीक़त से वाकिफ कराता है कि हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा के शिकार इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। क़ानून उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करता है।

यह हक़ीक़त कि सरकार चलाने वाली पार्टियां न केवल इतने भयानक अपराध करने की जुर्रत कर सकती हैं बल्कि अपने खुदगर्ज हितों के लिए, मौजूदा न्याय प्रणाली का मनमाने तरीक़े से इस्तेमाल भी कर सकती हैं, और यह इस कड़वी सच्चाई को भी उजागर करता है कि तथाकथित क़ानून का शासन (रूल ऑफ लॉ) एक धोखा, एक भ्रम है। क़ानून के समक्ष समाज के सभी सदस्य समान नहीं हैं। जिन्हें शासक वर्ग का समर्थन प्राप्त है, वे क़ानून से ऊपर हैं।

हमारे देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर न तो किसी अपराध के संबंध में कोई मुकदमा चलाया गया है और न ही उन्हें किसी गुनाह का दोषी ठहराया गया है। हक़ीक़त तो यह है कि सबसे जघन्य अपराधों के दोषी आमतौर पर पकड़े ही नहीं जाते हैं। केवल कुछ लोगों को जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया भी जाता है तो उनको उनके राजनीतिक मालिकों द्वारा रिहा कर दिया जाता है। दूसरी ओर, गुजरात में हुये क़त्लेआम के पीड़ितों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए साहसी संघर्ष करने वालों को जेल में डाल दिया गया है। उन पर गुजरात सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है, जिसने कथित तौर पर फरवरी-मार्च 2002 में हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश की थी।

क़ानून, मेहनतकशों पर अत्याचार करता है। हिन्दोस्तानी राज्य, जिससे सभी नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है, वह राज्य लगातार उन लोगों की रक्षा करता आया है

शेष पृष्ठ 3 पर

बिलकीस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ :

पूरे हिन्दोस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन

2002 में बिलकीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया और तभी से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए, देश के सभी क्षेत्रों से महिलाएं और पुरुष विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं।

27 अगस्त को महिला संगठनों, मानवाधिकार संगठनों और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई अन्य संगठनों ने देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर संयुक्त विरोध प्रदर्शन किये।

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर, महिला संगठनों, मानवाधिकार संगठनों, छात्रों और युवाओं के संगठनों, कलाकारों, लेखकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ समाज के प्रति चिंतित नागरिक, सैकड़ों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हुये और सरकार की निंदा की, उन्होंने दोषियों को रिहा करने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। मंच पर एक बड़े बैनर पर लिखा था : "बिलकीस

बानो के न्याय के संघर्ष के समर्थन और एकजुटता के साथ खड़े हों"।

प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों और बैनरों के साथ नारे लगाए : "राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और जनसंहार के ख़िलाफ़ एकजुट हों!", "लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले जेल में बंद रहते हैं, जबकि बलात्कारी और हत्यारे मुक्त होते हैं – क़ानून के राज का असली चेहरा!", "बलात्कारियों की रिहाई महिलाओं के ख़िलाफ़ आतंक के शासन का अग्रदूत है!", "बलात्कार एक गंभीर अपराध है, बलात्कारियों को छूट एक जघन्य अपराध है!", "अपराधियों की रिहाई को रद्द करो!", "हमें न्याय चाहिए!", "एक पर हमला सब पर हमला!"। उन्होंने दोषियों को रिहा करने के फ़ैसले की निंदा करते हुए नारे लगाए और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा के साथ-साथ बलात्कार और महिलाओं के ख़िलाफ़ सभी अपराधों को ख़त्म करने की मांग की।

रैली में भाग लेने वाले संगठनों के वक्ताओं ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने दोषियों की रिहाई की निंदा की। उन्होंने इस फ़ैसले के लिए अदालतों और न्यायपालिका पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार और गुजरात राज्य की सरकार की निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि यह इस देश की महिलाओं और लोगों को संदेश देता है कि वे कभी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने मांग की कि दोषियों की सज़ा में दी गयी छूट को वापस लिया जाए।

नई दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले संगठनों में अनहद, आल

शेष पृष्ठ 4 पर

अंदर पढ़ें

- पाठकों की प्रतिक्रिया 2
- कामरेड गुरमीत कौर नन्नर को लाल सलाम 3

पाठकों की प्रतिक्रिया

आज़ादी एक छलावा

संपादक महोदय,

आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, लेख को पढ़ने के बाद अगर पीछे मुड़कर देखें तो मन थोड़ा उदास हो जाता है कि शायद 75 वर्ष पहले और उसके बाद भी कई बार देश में ऐसे हालात बने जब देश में कम्युनिस्टों के द्वारा मज़दूरों और किसानों का राज स्थापित किया जा सकता था। परन्तु यह हो न पाया, उसके लिये आज हमें बिल्कुल अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है कि उन वक्तों में कम्युनिस्ट आंदोलन नाकाम रहा। हमें अपने–अपने क्षेत्रों में लोगों को भरोसा दिलाना है और उन्हें जागरुक करने की ज़रूरत है कि आज भी हिन्दोस्तान ब्रिटिश व्यवस्था का गुलाम है। बेशक हम आज़ादी से रहते हैं पर हम अपने हक़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं।

1947 में उपनिवेशवादी विरासत को कुछ धनी मुट्ठीभर हिन्दोस्तानियों के हाथों में सौंपा गया क्योंकि उस वक्त उपनिवेशवादी शासकों ने भांप लिया था कि अगर वे राजगद्दी नहीं छोड़ेंगे तो कोई बड़ा क्रान्तिकारी बदलाव आ जायेगा। आज़ादी के तुरंत बाद ही कम्युनिस्टों और कम्युनिस्ट पार्टियों पर दमन शुरू करना इस बात को सिद्ध करता है कि कम्युनिस्ट आंदोलन एक बड़े परिवर्तन की स्थिति में था।

इस बात में कोई शक नहीं है कि हिन्दोस्तान में पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में ब्रिटिश राज की ही छाप है। पहले हिन्दोस्तानी लोगों का शोषण ब्रिटिशों द्वारा उपनिवेशवादी विरासत को बचाने के लिए किया जाता था और आज सिर्फ कुछ मुट्ठीभर बड़े हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा हमारे मज़दूर–किसान भाइयों के श्रम का शोषण होता है, ताकि पूंजीपतियों का राज क़ायम रहे।

मज़दूर वर्ग के लिये आज़ाद हिन्दोस्तान का सपना वह है जिसे हमारे शहीद साथियों ने देखा था – एक ऐसा समाज हो जहां लोगों के द्वारा लोगों का शोषण न हो। हमें हिन्दोस्तान के नव–निर्माण के लिए अपने मज़दूर–किसान भाइयों को जागरुक करना होगा और सभी को एक मंच पर लामबंध करना होगा।

रोशन, नई दिल्ली

प्रिय संपादक

हिन्दोस्तान में हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां ज़ोर–शोर की गयीं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया और हर घर तिरंगा लहराने का अभियान चलाया गया।

मेरा सवाल है कि क्या हिन्दोस्तान आज़ाद है? मेरा मानना है कि हिन्दोस्तान में ब्रिटिश की जगह पर सत्ता की बागडोर हिन्दोस्तानी ज़रूर थामे हुए हैं। इतने सालों से मैं अपने जीवन में देखती आ रही हूं कि चेहरे बदल गये हैं, पर शासन व्यवस्था उसी तरह की है जैसी ब्रिटिश काल में थी। अपने देश की परंपरा हो चुकी है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसका काम अपनी पीठ थपथपाना और दूसरी पार्टियों की निंदा करना ही है। असलीयत में यह सिर्फ नाम की आज़ादी है।

क्या हमें आज भी सब सुविधाएं मिलती हैं? एक इन्सान बतौर जीने के लिये भौतिक सुविधाएं ज़रूरी होती हैं, जैसे पीने का साफ पानी, घर, सड़क, बिजली, परिवहन, इत्यादि। यह सब हर इन्सान को उपलब्ध होना चाहिये। इसके अलावा, जीवनयापन करने के लिये हर हाथ को काम, हर बच्चे को शिक्षा, हर इन्सान के लिये स्वास्थ्य सुविधा, सभी को वाजिब दाम में खाने लायक राशन – इन सभी चीजों को उपलब्ध कराना राज्य का फर्ज़ है। मगर इन्हीं चीजों को हासिल करने के लिये आम आवाम को हर दिन संघर्ष करना पड़ता है।

इन्हीं चीज़ों को पाने के संघर्ष में आम इन्सान की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है पर ये बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जब लोग इन सारी चीजों के लिये आवाज़ उठाते हैं तो सरकार उन पर कोई घ्यान नहीं देती। जब लोग अपने अधिकारों के लिये आंदोलन करते हैं तो उन्हें देशद्रोही या फिर आतंकवादी करार दिया जाता है। उन्हें काले क़ानून के तहत जेल में बंद कर दिया जाता है। उनकी पूरी–पूरी ज़िंदगी जेलों में ख़त्म हो जाती है।

मज़दूर सौ से भी अधिक सालों से अपने हक़ो के लिये लड़ रहे हैं परन्तु आज भी उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। मज़दूरों ने संघर्ष करके जो कुछ हासिल किया है उसको भी छीना जा रहा है। 8 घंटे के काम के अधिकार और न्यूनतम वेतन के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। काम की जगह पर महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाओं से कम वेतन पर काम करवाया जा रहा है। क़र्ज़ में डूबने की वजह से हर साल सैकड़ों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है।

हम सबको यह समझना होगा की पार्टी बदलने से काम नहीं चलने वाला। हमें एकजुट होकर इस व्यवस्था को उखाड़कर एक नई व्यवस्था को क़ायम करने के लिए सघंर्ष करना होगा जिसमें सही माइने में पूरे हिन्दोस्तान के लोग स्वतंत्र और खुशहाल रह सकेंगे।

आपकी, सना

संपादक महोदय,

मज़दूर एकता लहर में प्रकाशित "हिन्दोस्तान को उपनिवेशावादी विरासत से आज़ादी की सख़्त ज़रूरत है" विषय पर जो लेख अगस्त के अंक में प्रकाशित किया गया है उसके बारे में मैं अपने विचार सांझा करना चाहती हूं।

जैसा कि इसमें बहुत ही साफ़ तरीके से बताया गया है कि हिन्दोस्तान को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी राज्य के संस्थानों और राजनीतिक प्रक्रिया पर ब्रिटिश राज की छाप है। क़ानून, अदालतें, जेल, पुलिस, आदि जिन्हें उपनिवेशवादी शासन के दौरान, हमारे ऊपर जुल्म करने और हमें दबाने के लिए, हम पर शासन करने के लिए बनाया गया था, वे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। कुछ भी नहीं बदला है।

एक ओर आम आवाम – मज़दूर, किसान, औरत और नौजवान – जब अपने अधिकारों की मांग को लेकर संघर्ष करते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें मारा–पीटा जाता है, सालों–साल के लिए जेलों में बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोषी इसी क़ानून का सहारा लेकर बच निकलते हैं। उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही नहीं होती। ये राज्य और सरकारें ही लोगों पर क्रूर दमन और आंतक का माहौल तैयार करते हैं। जबकि दोष आम आवाम पर डाला जाता है, यह कहकर कि वे राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए ख़तरा हैं।

टाडा, पोटा, यू.ए.पी.ए., आफ्स्पा के तहत हजारों–हजारों नौजवानों को शक के आधार पर बिना किसी गुनाह के गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया गया है। उन्हें किसी से मिलने का या अपना मुकदमा खुद लड़ने का अधिकार नहीं है। उनका पूरा जीवन, जिसमें वे अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए काम करते, वह जेल में बिताता है। अपने आप को बेगुनाह साबित करते–करते उनका जीवन ख़त्म हो जाता है और जब तक वे रिहा होते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं रहता।

हिन्दोस्तान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है दरअसल ये एक छलावा है जहां क़ानून और नीतियां बनाने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती।

इसलिए हम सभी को एकजुट होकर हिन्दोस्तान के नव–निर्माण के लिए संघर्ष करना होगा। राजनीतिक प्रक्रिया को बदलना होगा। तभी मेहनतकश आवाम के हाथों में फ़ैसले लेने की, क़ानून और नीतियां बनाने की ताक़त होगी।

मानसी, दिल्ली

बिजली एक आवश्यक सामाजिक ज़रूरत

संपादक महोदय,

मज़दूर एकता लहर को धन्यवाद करता हूं कि आपने बिजली के विषय पर छः भागों में जो लेखों की श्रृंखला प्रस्तुत की है इसमें बहुत की तर्कपूर्ण तरीके से समझाया गया है कि बिजली एक आवश्यक सामाजिक ज़रूरत है।

इन लेखों में वर्ग संघर्ष की जो बात कही जा रही है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि यह एक बड़ी लड़ाई है जो दो वर्गों के बीच है और ये दो वर्ग कौन हैं? वह है मज़दूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग। उत्पादन के साधनों का मालिक किस वर्ग को होना चाहिए? इसका उत्तर है मज़दूर वर्ग को।

विद्युत संशोधन अधिनियम 2022 आम उपभोक्ताओं के हितों पर बड़े स्तर पर असर डालेगी। निजी कंपनियां सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों का चुनाव करती हैं जहां अधिकतम मुनाफ़ा हो। सार्वजनिक धन से बनी विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण व्यवस्था का उपयोग व्यक्तिगत मालिक अपने व्यवसाय और मुनाफे को बढ़ाने के लिए करेंगे।

कृषि क़ानूनों की वापसी के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों को भरोसा दिया था कि आम जनता के साथ परामर्श करके और उनकी सहमति के आधार पर ही सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2022 पर कुछ प्रस्ताव करेगी। श्रृंखला के सभी लेखों को पढ़ने से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि बिजली के उत्पादन और वितरण को निजी हाथों में सौंप देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जिससे स्पष्ट होता है कि देश की सरकार और पूरा मंत्रीमंडल उन्हीं फ़ैसलों पर अमल करता हैं जो इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा पहले ही प्लान किये जा चुके होते हैं।

इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया गया है कि बिजली जैसी मूलभूत सेवाएं समाज के लिए ज़रूरी हैं 'ये साधन निजी मुनाफ़े बनाने का स्रोत नहीं हैं'। राज्य की पूरी–पूरी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी के लिए सस्ते दामों पर बिजली आपूर्ति की उचित व्यवस्था हो।

हमें अपने संघर्ष को और तेज़ करने की ज़रूरत है, ताकि देश को चलाने वाले मज़दूरों–किसानों का राज सभी उत्पादन के साधनों पर हो।

पंडित, नई दिल्ली

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

कामरेड गुरमीत कौर नन्नर को लाल सलाम

21 अगस्त को, हमारी प्रिय कॉमरेड गुरमीत कौर नन्नर का लंबी बीमारी के बाद, शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनकी बेटी इंदिरा और दामाद मैनुएल उनके निधन के समय उनके साथ थे। वे 94 वर्ष की थीं। कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति इस अडिग कम्युनिस्ट सेनानी की याद को सलाम करती है।

गुरमीत कौर का जन्म 5 मार्च, 1928 को पंजाब के माहिलपुर में, एक देशभक्त कम्युनिस्ट परिवार में हुआ था। बहुत कम उम्र से ही उनमें मातृभूमि और कम्युनिज़्म के आदर्शों के प्रति प्यार उत्पन्न हो गया था। उन्होंने अपने जीवन भर, इन मूल्यों और असूलों की हिफ़ाज़त की।

गुरमीत गुरबख्श सिंह बैंस और अमर कौर सहोता की बेटी थीं। उनके पिता अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सक्रिय सदस्य थे। उनकी क्रांतिकारी कार्यवाहियों की वजह से, उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा और भूमिगत रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुरमीत और उनके बड़े भाई–बहन, अजीत सिंह बैंस और रंजीत कौर ने ऐसी कठिन परिस्थितियों में परिवार का भरण–पोषण करने की ज़िम्मेदारी निभायी थी। साथ ही साथ, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके चार छोटे भाई–बहन – गुरदेव कौर, यशदीप

बैंस, हरमोहिंदर बैंस और हरदयाल बैंस – सभी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करें।

अपने पूरे सक्रिय जीवन में, गुरमीत ने महिलाओं को गुलामी की स्थिति में रखने वाले सभी पिछड़े रीति–रिवाज़ों और परंपराओं के ख़िलाफ़ संघर्ष किया। वे अपनी बड़ी बहन रंजीत के साथ, माहिलपुर में कॉलेज में दाखिल होने वाली पहली लड़कियां थीं। गुरमीत पंजाब में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले महिला संगठन की सक्रिय सदस्य थीं।

गुरमीत और उनका युवा परिवार 1960 में कनाडा चले गए। कनाडा में वे नस्लवाद और फासीवाद के ख़िलाफ़, सभी के अधिकारों के लिए संघर्ष में सक्रिय थीं। वे ईस्ट इंडियन डिफेंस कमेटी, पीपल्स फ्रंट अगेंस्ट रेसिस्ट एंड फासिस्ट वायलेंस, डेमोक्रेटिक विमेंस यूनियन ऑफ कनाडा और एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्रोग्रेसिव स्टडी ग्रुप्स की संस्थापक सदस्य थीं।

गुरमीत ने दोनों देशों, कनाडा और हिन्दोस्तान में, कम्युनिस्ट आंदोलन में अपना पूरा योगदान दिया। जब तक उनके शरीर और मन में ताक़त थी, तब तक उन्होंने हर सौंपे गए काम को खुशी से निभाया।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति की तरफ से, मैं इस अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट के परिवार और सभी साथियों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

लाल सिंह
महासचिव
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

बिलकीस बानो मामले के मुजरिमों की रिहाई ...

पृष्ठ 1 का शेष

जो लोगों के अधिकारों को पैरों तले रौंदते हैं, जो बेकसूर नागरिकों का बलात्कार और हत्या करते हैं।

शासक वर्ग और उसके राजनेता चाहते हैं कि लोग विश्वास करें कि बिलकीस मामले के गुनहगारों की रिहाई एक असामान्य घटना है। हालांकि, हमारे जीवन के अपने अनुभव से पता चलता है कि यह कोई असामान्य घटना नहीं है। सांप्रदायिक हिंसा के शिकार पीड़ितों को न्याय से वंचित करना कोई अपवाद नहीं है। यह देश का सामान्य नियम रहा है।

1984 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब दिल्ली और कई अन्य स्थानों पर सिखों के ख़िलाफ़ सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। उस सामूहिक क़त्लेआम के शिकार लोगों को भी इंसाफ पाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। संसद में प्रमुख पार्टियां, नौकरशाही, सुरक्षा बल और न्यायपालिका सभी पीड़ितों के ख़िलाफ़ थे।

1984 के क़त्लेआम के पीछे जो साज़िशकर्ता थे उनको कभी सज़ा नहीं मिली। इसी अन्याय की पुनरावृत्ति में 2002 में हुए गुजरात में हुए क़त्लेआम के पीछे जो साज़िशकर्ता थे उनको भी कोई सज़ा नहीं मिली। यहां तक कि सबसे निचले स्तर पर जो इस क़त्लेआम में शामिल थे और जिनको अपने गुनाहों के लिए दोषी भी ठहराया गया था, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। सांप्रदायिक हिंसा के और भी कई उदाहरण हैं और किसी भी मामले में इसे आयोजित करने वालों को न ही दोषी ठहराया गया है और न ही उनको कोई सज़ा मिली है। बड़े पूंजीपतियों के धनबल से पोषित पार्टियां, सांप्रदायिक हिंसा को आयोजित करने के लिए राज्य–तंत्र का इस्तेमाल करती हैं और जाहिर है कि उनको इन अपराधों की सज़ा नहीं मिलती।

जब भी सांप्रदायिक हिंसा होती है, इसे आधिकारिक तौर पर "दंगे" के रूप में दर्ज किया जाता है। जिसका मक़सद इस सच्चाई को छुपाना होता है कि इसे राजनीतिक उद्देश्यों के तहत आयोजित किया गया था। 1984 और 2002 दोनों में, जिस पार्टी की सरकार थी, उसने क़त्लेआम के बाद हुए चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल किया। सांप्रदायिक हिंसा का आयोजन करने वालों को उच्च पदों से पुरस्कृत किया गया।

इन सामूहिक अपराधों के आयोजन का राजनीतिक मक़सद इस या उस पार्टी की चुनावी महत्वाकांक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांप्रदायिक हिंसा शासक वर्ग के हितों की सेवा करती है। यह मेहनतकश और शोषित बहुसंख्यक आबादी को अपने सांझे दुश्मन, लोगों पर शोषण और अत्याचार करने वाले इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व वाले पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ एकजुट होने से रोकने का काम करती है।

ब्रिटिश राज से "फूट डालो और राज करो" की रणनीति और तरीक़े को विरासत में पाने के बाद से हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ने राज करने के इन तरीक़ों को क़ायम रखा है और उन्हें और भी बेहतर तरीके से लागू करके अपनी हुकूमत को चलाने के लिए कारगर पाया है। राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक घृणा को भड़काना, हमारे देश की राजनीतिक प्रक्रिया और शासन पद्धति का एक अभिन्न अंग बन गया है।

वक्त की मांग है कि सभी कम्युनिस्ट, सभी प्रगतिशील व लोकतांत्रिक संगठन और लोग एकजुट होकर सभी के लिए इंसाफ हासिल करने के अपने संघर्ष को बहादुरी से और भी आगे ले जाएं।

हम लोग हिन्दोस्तानी राज्य की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के बारे में कोई भ्रम नहीं रख सकते। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हर व्यक्ति को ज़मीर का हक़ है, कि वह अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। सांप्रदायिक हिंसा की बार–बार होने वाली वारदातें, जिनमें लोगों पर उनके धर्म के आधार पर सुनियोजित तरीक़े से हमला किया जाता है और उनका क़त्लेआम किया जाता है, यह साबित करता है कि मौजूदा राज्य वास्तव में ज़मीर के हक़ की रक्षा नहीं करता है।

हमें मांग करते रहना चाहिए कि गुनहगारों को सज़ा मिले। बलात्कार और हत्या को आयोजित करने, उकसाने और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वालों को भी उतने ही संगीन और जघन्य अपराधों का दोषी माना जाना चाहिए जितना कि उन कृत्यों को हक़ीक़त में अंजाम देने वाले गुनहगारों को माना जाता है। जिन लोगों ने कमान संभाली है और जो सरकार चलाते हैं, उनका कर्तव्य लोगों के जीवन और सम्मान की रक्षा करना है और इसलिए उन्हें उनकी कमान के तहत किए गए अपराधों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन पर लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए। जब तक सभी गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलती तब तक इस तरह के जघन्य अपराधों का अंत नहीं होगा।

अपने इंसाफ के संघर्ष की जीत तब होगी जब इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व वाले पूंजीपति वर्ग के शासन को मेहनतकश जनता के शासन में बदल दिया जाएगा। पूरी तरह से सांप्रदायिक मौजूदा राज्य को तब एक ऐसे राज्य में बदला जाएगा जो हर व्यक्ति के ज़मीर के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, एक ऐसा राज्य जो यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं पर अत्याचार और बुरा सलूक करने वाले या किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों की अवहेलना करने वाले गुनहगारों को तुरंत और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।

http://hindi.cgpi.org/22553

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।

इस पुस्तिका को मंगाने के लिये संपर्क करें : लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली 20

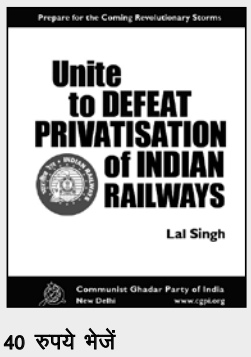

फोन : 09810167911, 9868811998] डाक खर्च सहित 40 रुपये भेजें

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का हिन्दी पाक्षिक अख़बार
मज़दूर एकता लहर

वार्षिक शुल्क 150 रुपये, कृपया मनीआर्डर निम्न पते पर भेजिये :
श्री मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2,
नई दिल्ली–110020

मज़दूर एकता लहर को मनीआर्डर से पैसा भेजने वाले सभी पाठकों से अनुरोध है कि पैसा भेजने के बाद हमें, इस नम्बर 09810167911] 9868811998 पर फोन करके सूचित करें तथा एस.एम.एस. करें। ई-मनीआर्डर भेजते समय फार्म में अपना पता पूरा और साफ-साफ भरें।

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 ep, 2022 Date of publish - 1 Sep, 2022

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

बिहार में सफ़ाई मज़दूर संघर्ष की राह पर

बिहार के सफ़ाई मज़दूर 27 अगस्त, 2022 से राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं। इसमें सभी नगरपालिकाओं के मज़दूर हिस्सा ले रहे हैं। पटना नगर निगम में ही करीब 40,000 मज़दूर हड़ताल में शामिल हैं।

हड़ताल का आयोजन बिहार लोकल बॉडीज़ संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिहार राज्य स्थाई निकाय कर्मचारी महासंघ ने किया है। उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। उनकी मांगों में शामिल है कि ठेके पर कार्यरत मज़दूरों के लिये नियमित मज़दूरों के बराबर का वेतन दिया जाये।

पटना नगर निगम ने कूड़ा हटाने के लिये जे.सी.बी. मशीनों का इस्तेमाल कर रही

है। इसके बावजूद, ख़बरें मिल रही हैं कि पटना और अन्य शहरों में घर–घर से कूड़ा हटाने का काम, सड़कों की सफ़ाई तथा मरम्मत का काम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

ठेके पर काम करने वाले सफ़ाई मज़दूरों का वेतन नियमित मज़दूरों के वेतन का लगभग एक–तिहाई ही है। अपनी मांगों को लेकर सफ़ाई मज़दूर कई सालों से आंदोलन करते आये हैं और अब उन्होंने अपने संघर्ष को और तेज़ करने की ठान ली है। सफ़ाई मज़दूरों की मांगें हैं कि समान काम के लिये समान वेतन मिलना चाहिये और काम के बेहतर हालात होने चाहियें। ये मांगें एकदम जायज़ हैं।

http://hindi.cgpi.org/22560

पंजाब रोडवेज़ के ठेका मज़दूरों ने हड़ताल की

पंजाब रोडवेज़ के ठेका मज़दूर, जिनमें पनबस सेवा और पेप्सू रोड ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन के मज़दूर भी शामिल हैं, उन्होंने नियमित रोज़गार और समान काम के लिये समान वेतन की मांगों को लेकर 14 अगस्त से तीन दिनों की हड़ताल आयोजित की। हड़ताल का आयोजन पी.आर.टी.सी. कान्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन ने किया था और इसमें 8,000 मज़दूरों ने हिस्सा लिया। हड़ताल की वजह से 3,000 से भी अधिक बसें सड़कों पर नहीं उतरीं।

यूनियन के अनुसार पी.आर.टी.सी. में सैंकड़ों ऐसे ठेका मज़दूर हैं जो 15 साल से काम पर लगे हुए हैं, उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। यूनियन ने मांग की है कि ब्लैकलिस्ट किये मज़दूरों को वापस

लिया जाये, आउटसोर्सिंग को ख़त्म किया जाये और पी.आर.टी.सी. के लिये 1000 नयी बसें खरीदी जायें। याद किया जाये कि विधान सभा चुनावों के पहले आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि पी.आर.टी.सी. के मज़दूरों को नियमित किया जायेगा।

कुछ महीने पहले भी यूनियन ने मुख्यमंत्री से वार्ता की थी और मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जायेगा। पर यह आश्वासन झूठा निकला। इसीलिये मज़दूर तीन दिन की हड़ताल की योजना बनाने के लिये मजबूर हुए। उनकी हड़ताल से जन परिवहन पर इतना असर पड़ा कि परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री ने फिर एक बार यूनियन के साथ वार्ता करने का प्रस्ताव रखा। जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए, मज़दूरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली।

http://hindi.cgpi.org/22566

बिलकीस बानो : पूरे हिन्दोस्तान में विरोध प्रदर्शन ...

पृष्ठ 1 का शेष

इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसियेशन (ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए.), नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन (एन.एफ.आई.डब्ल्यू.), पुरोगामी महिला संगठन (पी.एम.एस.), आल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमन एसोसियेशन (ए.आई.पी.डब्ल्यू.ए.), आल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (ए.आई.एम.एस.एस.), आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसियेशन (ए.आई.एस.ए.), यंग वुमन क्रिश्चन एसोसियेशन (वाई.डब्ल्यू.सी.ए.), नेशनल अलाईंस ऑफ पीपल्स मुवमेंट (एन.ए.पी.एम.), न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव (एन.टी.यू.आई.), आल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गेनाईजेशन (ए.आई.डी.एस.ओ.), बी.ए.एस.ओ. और कई अन्य संगठन शामिल थे।

कई राज्यों – तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, आदि में विरोध प्रदर्शन हुए। इस अन्यायपूर्ण फ़ैसले के

19 अगस्त, 2022 को अहमदाबाद में अपराधियों की रिहाई के ख़िलाफ़ प्रदर्शन

ख़िलाफ़ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और मांग की कि इस फ़ैसले को तुरंत वापस लिया जाए।

भले ही विरोध अलग–अलग भाषाओं में थे, लेकिन उनके उद्देश्य की गूंज एक ही थी – बिलकीस बानो के लिए न्याय, राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक जनसंहार का अंत, बलात्कार और महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के लिए सज़ा।

15 अगस्त को गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को रिहा किये जाने को वापस लेने की मांग को लेकर सैकड़ों लोग बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में इकट्ठा हुए।

बेंगलुरु के अलावा, कर्नाटक के 15 जिलों जैसे गुलबर्गा, यादगिरि हसन, चामराजनगर, चिकमगलूर, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर और कई अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन हुए।

हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद और महाराष्ट्र के कई अन्य हिस्सों में, स्कूलों और कॉलेजों की कामकाजी महिलाएं और युवतियां बड़ी संख्या में सरकार की निंदा करने और बिलकीस बानो के लिए न्याय की मांग करने के लिए सामने आईं। इन विरोध प्रदर्शनों में रंगमंच कार्यकर्ताओं और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

चंडीगढ़ और पंजाब के कई शहरों में लोग विरोध करने के लिए निकल पड़े। वाराणसी और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। बिलकीस बानो के दोषियों को सज़ा दिलाने और न्याय की मांग को लेकर केरल और तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किये।

http://hindi.cgpi.org/22553